राजस्थान सरकार

वित्त विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

परिवर्तित बजट अनुमान

2009-10

http://finance.rajasthan.gov.in

परिवर्तित बजट वर्ष 2009-10 के मुख्य बिन्दु

- चालू वित्तीय वर्ष हेतु योजना आयोग द्वारा 17322 करोड़ रुपये की योजना मंजूर की गई थी, जो वित्तीय वर्ष 2008–09 की अनुमोदित योजना 14000 करोड़ रुपये से 23.55 प्रतिशत अधिक थी। राज्य सरकार द्वारा परिवर्तित बजट में योजना के आकार को बढ़ाकर 18635 करोड़ किया गया है। यह योजना राज्य की अब तक की सबसे बड़ी वार्षिक योजना है एवं योजना आयोग द्वारा वर्ष 2008–09 के लिये अनुमोदित योजना के आकार से 33 प्रतिशत अधिक है।
- चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु परिवर्तित बजट का आकार 49737 करोड़ रूपये है, जो गत वर्ष के संशोधित अनुमानों से 14 प्रतिशत अधिक है।
- चालू वित्तीय वर्ष के परिवर्तित बजट में 39 करोड़ रुपये का बजट अधिशेष अनुमानित।
- चालू वित्तीय वर्ष के परिवर्तित बजट में कुल राजस्व आय 38268 करोड़ रुपये रहने की सम्भावना है, जो गत वर्ष के संशोधित अनुमानों से 11.30 प्रतिशत अधिक है।
- वित्तीय वर्ष 2008–09 के संशोधित अनुमानों में अनुमानित राज्य के स्वयं के कर राजस्व 15134 करोड़ रुपये की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष के परिवर्तित बजट में राज्य का स्वयं का कर राजस्व 16742 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो गत वर्ष के संशोधित अनुमानों से 10.62 प्रतिशत अधिक है।
- परिवर्तित बजट अनुमानों में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राज्य की स्वयं की कर राजस्व आय 7.93 प्रतिशत है।
- राज्य द्वारा लिये गये ऋणों के ब्याज भुगतान हेतु चालू वित्तीय वर्ष के परिवर्तित बजट अनुमानों में 6754 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ब्याज भुगतान, राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का 17.65 प्रतिशत है।
- चालू वित्तीय वर्ष के परिवर्तित बजट में राज्य का राजस्व घाटा 1409 करोड़ रूपये एवं राजकोषीय घाटा 8420 करोड़ रुपये आकलित किया गया है। वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण राज्य की राजस्व आय में आ रही कमी एवं छठे वेतन आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति के फलस्वरूप राज्य पर आये अतिरिक्त भार के कारण राज्य के राजस्व घाटे एवं राजकोषीय घाटे में वृद्धि हुई है लेकिन यह भारत सरकार द्वारा वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 के लिये निर्धारित सीमा क्रमशः 3.5 प्रतिशत एवं 4 प्रतिशत (जीएसडीपी का प्रतिशत) है।
- यह उल्लेखनीय है कि वित्तीय संसाधनों की कमी के बावजूद राज्य के आर्थिक विकास को प्राथमिकता देते हुए परिवर्तित बजट में पूँजीगत परिव्यय में 14.67 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। वित्तीय वर्ष 2008–09 के संशोधित अनुमानों में

पूँजीगत व्यय 5986 करोड़ रुपये आकलित किया गया था, जो कि चालू वित्तीय वर्ष के परिवर्तित बजट में बढ़ाकर 6864 करोड़ रुपये आकलित किया गया है।

- परिवर्तित बजट में योजना मद के अन्तर्गत सामाजिक सेवाओं के लिये लेखानुदान के साथ प्रस्तुत आय–व्ययक अनुमान 2009–10 की तुलना में 573 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है। शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शहरी विकास, परिवार कल्याण एवं जल प्रदाय योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए इनके लिये प्रावधान बढ़ाया गया है।

बजट घोषणायें

- गैर–जनजाति एवं गैर–मरुस्थलीय क्षेत्रों में भी 250 से 500 तक की आबादी वाले 2 हजार 776 गाँवों को भी आगामी तीन वर्षों में **'नरेगा'** के अंतर्गत ग्रेवल सड़कों से जोड़ा जायेगा।
- ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विद्युत तंत्र में सुधार की दृष्टि से लगभग 2 हजार करोड़ रुपये की ग्राम पंचायत विद्युत वितरण योजना चालू वर्ष में प्रारंभ की जायेगी।
- कृषि विद्युत कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची समाप्त करना।
- नई बीपीएल सूची में नहीं आये लोगों को स्टेट बीपीएल मानते हुए **'मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष'** के माध्यम से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।
- ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करते हुए 537 नये उप–स्वास्थ्य केंद्र खोले जायेंगे।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति में वृद्धि।
- किराये के भवनों में संचालित छात्रावासों के लिए 90 करोड़ रुपये की लागत से नवीन छात्रावास भवनों का निर्माण।
- छात्रावासों में रह रहे अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों के मैस भत्ते में बढ़ोतरी।
- **'बाबू जगजीवन राम योजना'** के अंतर्गत 13 जिलों में छात्राओं के लिए छात्रावासों का निर्माण।
- गाड़िया–लुहार परिवारों को आवास निर्माण हेतु देय सहायता राशि में बढ़ोतरी।
- अवैध शराब के धन्धों में लिप्त परिवारों के पुनर्वास की योजना।
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों पर होने वाले अत्याचारों के प्रकरणों पर त्वरित कार्यवाही के लिए एक हैल्प लाईन की स्थापना।
- 'अल्प संख्यक मामलात' के लिए एक अलग विभाग का गठन।

- **'वक़्फ़ विकास परिषद'** के कॉरपस के लिए एक करोड़ रुपये का अंशदान।
- अल्प संख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम द्वारा दिये जा रहे ऋणों पर 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान।
- वनों में निवास करने वाले जनजाति के परिवारों को अधिकार पत्र जारी किए जायेंगे।
- बांसवाड़ा जिले में एक अभियांत्रिकी महाविद्यालय खोलने का प्रस्ताव है।
- आदिवासियों के लिये जोधपुर में 2 करोड़ रुपये की लागत से कन्या छात्रावास की स्थापना की जायेगी।
- 247 आश्रम छात्रावासों में वाचनालय का निर्माण कराना प्रस्तावित है।
- सागवाड़ा, तलवाड़ा एवं घाटोल में 3 करोड़ 6 लाख रुपये की लागत से बालिका छात्रावासों का निर्माण।
- अनुसूचित जनजाति छात्रावास, आश्रम छात्रावास एवं आवासीय विद्यालयों में रह रहे छात्रों के मैस भत्ते में बढ़ोतरी।
- ग़रीब महिलाओं को आत्म निर्भर बनाने के लिए आजीविका प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाना प्रस्तावित है।
- एक लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि।
- कृषकों के लिए आगामी 5 वर्षों तक विद्युत दरों में बढ़ोतरी नहीं।
- 7 जिलों में मौसम आधारित बीमा योजना लागू की जायेगी।
- 500 महिला सहकारी समितियों को उचित मूल्य की दुकानों के संचालन एवं उर्वरकों की बिक्री हेतु 5 करोड़ रुपये की सहायता राशि का अनुदान।
- विदेश जाने वाले श्रमिकों की कठिनाइयों के निराकरण के लिए **'ओवरसीज़ प्लेसमेंट ब्यूरो'** की स्थापना।
- राज्य की 1 हजार 900 ग्राम पंचायतों के उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करना।
- मदरसों हेतु 2 हजार 500 सामान्य शिक्षा सहयोगियों की संविदा के आधार पर नियुक्ति।
- भरतपुर में महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय की स्थापना।
- डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं सिरोही में नये उद्योग स्थापित करने को प्रोत्साहित करने के लिए 5 करोड़ रुपये की योजना।
- नमक उत्पादन में कार्यरत मज़दूरों के कल्याण के लिए एक विशेष योजना।
- कच्ची बस्तियों में निवास करने वाले ग़रीब परिवारों के लिए जलापूर्ति, सिवरेज एवं ड्रेनेज व्यवस्था तथा रोशनीयुक्त पक्की सड़कों की व्यवस्था।

- कच्ची बस्तियों में निवास करने वाले परिवारों को पट्टे जारी किये जायेंगे।
- आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग के 1 लाख 25 हजार मकान उपलब्ध कराये जायेंगे।
- स्टेट ग्रान्ट एक्ट के अंतर्गत एक रुपये के शुल्क पर पट्टों का वितरण।
- स्थानीय निकायों में सफाई कर्मचारियों की भर्ती।
- अरबी फारसी शोध संस्थान को 1 करोड़ 19 लाख रुपये का अनुदान।

नई नियुक्तियां

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम	आगामी तीन वर्षों में 2375 पदों पर नियमित भर्ती, जिसमें से 793 पद इसी वर्ष भरे जायेंगे।
स्थानीय निकाय	2500 से अधिक रिक्त पदों पर सफाई कर्मियों की भर्ती। 6 नयी नगरपालिकाओं में 373 नवीन पद सृजित
पंचायती राज	11315 पदों का सृजन किया जायेगा। 9184 पंचायतों पर कम्प्यूटर आपरेटर मय कम्प्यूटर।
महिला बाल विकास	16500 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित अस्पतालों में विशेषज्ञों के 20 पद स्वीकृत। 5000 एएनएम के पद संविदा पर भरे जायेंगे। चिकित्साधिकारियों के 540 तथा पैरा–मेडिकल एवं नर्सिंग के 1400 रिक्त पदों पर भर्ती।
शिक्षा	सर्व शिक्षा अभियान के तहत 17229 अध्यापकों की भर्ती की स्वीकृति। मदरसों हेतु 2500 शिक्षा सहयोगी संविदा आधार पर। महाविद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों के 72 रिक्त पद भरे जायेंगे। स्कूल शिक्षा के शारीरिक शिक्षकों के 1000 पदों पर भर्ती
पुलिस	उपनिरीक्षक पुलिस के 480 रिक्त पदों पर भर्ती। कांस्टेबल और हैड–कांस्टेबल के 1955 पद सृजित। इन्हें शामिल करते हुए 5000 कांस्टेबल के पद भरे जायेंगे।
जेल	जेल प्रहरियों के 250 पदों पर सीधी भर्ती।
राजस्व	52 उपखंड अधिकारी के पदों का सृजन

महिला / बालिका

जेंडर रेस्पोंसिव बजट बनाने का निर्णय
महिला अधिकारिता विभाग के तहत एक विशेष जेंडर सेल की स्थापना
महिलाओं को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने एवं उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए नया सात सूत्री कार्यक्रम
महिलाओं के लिए अमृता सोसायटी के माध्यम से आजीविका प्रोत्साहन कार्यक्रम चलाना
महिला स्वयं सहायता समूह जिन्होंने बैंक ऋण मय ब्याज वर्ष 2008–09 में पूरा चुका दिया है उन्हें ब्याज दर में राहत स्वरूप 2 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि दी जायेगी
380 आंगनबाड़ी केंद्रों के नवीन भवनों का निर्माण
आंगनबाड़ी केंद्रों हेतु 16500 कार्यकर्ताओं की नियुक्ति
अगले 5 वर्षों में प्रत्येक महिला को साक्षर बनाने का कार्यक्रम तैयार किया जायेगा
भरतपुर में नये महिला पोलिटेक्निक महाविद्यालय की स्थापना
सीकर, जालौर, बांसवाड़ा, हनुमानगढ तथा बारां में महिला थाने खोलना
जोधपुर में अनुसूचित जनजाति की छात्राओं हेतु छात्रावास की स्थापना
सागवाड़ा तलवाड़ा तथा घाटोल अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं हेतु पंचायत समितियों में छात्रावासों का निर्माण
अनुसूचित जाति जनजाति की छात्राओं को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति में वृद्धि
12 जिला मुख्यालयों पर अनुसूचित जाति जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग की महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं के लिए छात्रावास निर्माण
बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन

युवा

दक्षता विकास एवं उन्नयन के प्रशिक्षण की व्यवस्था
जोधपुर में नेशनल इन्स्ट्रीयूट ऑफ फैशन टेक्नोलोजी की स्थापना
विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढावा देने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का बजट 2 करोड़ से बढाकर 5 करोड़ रुपये
वन क्षेत्रों में निवास करने वाले 1 हजार युवकों को वनमित्र के रूप लगाना
राजस्थान आजीविका मिशन के स्थान पर इसका नाम राजस्थान कौशल एवं आजीविका मिशन होगा। इस मिशन के माध्यम से 2 लाख युवाओं को रोजगार हेतु प्रशिक्षित करना ।
राजस्थान इन्स्टीट्यूट फॉर सिक्योरिटी एजूकेशन की स्थापना

बजट 2009–10 के मुख्य बिन्दु (कर राजस्व)

- राजस्थान में अर्न्तराज्य विक्रय अब अधिक सुगम हो जायेगा। प्रत्येक वस्तु पर वैट फार्म 47 एवं 49 की अनिवार्यता को समाप्त किया गया है। अब केवल पूर्व में अधिसूचित कुछ वस्तुओं पर वैट 47 एवं 49 की आवश्यकता सीमित हो जायेगी। इससे व्यापारी वर्गों को भारी राहत मिलेगी।
- राज्य में विश्वास का वातावरण कायम करने के लिये राज्य सरकार द्वारा इन्टेलिजेन्स के आधार पर ही टैक्स ईवेजन को रोकने की व्यवस्था की जायेगी। वाणिज्यिक कर विभाग की उड़नदस्ता व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है।
- राज्य में राजस्व आसूचना निदेशालय की स्थापना होगी। भारत सरकार के अनुरूप यह निदेशालय राज्य में राजस्व की सभी प्रमुख श्रोतों की निगरानी करेगा तथा एकत्रित सूचनाओं के आधार पर दोषी व्यापारियों के खिलाफ संशक्त कार्यवाही की जायेगी।
- प्रक्रिया के सरलीकरण के साथ राज्य सरकार द्वारा यह तय किया गया है कि अब टैक्स ईवेजन को हर हालत में रोका जायेगा तथा ईमानदार एवं स्वच्छ छवि के व्यापारियों को सम्मान एवं प्रोत्साहन दिया जायेगा।
- कार्यवाही में एक रूपता तथा पारदर्शिता लाने के लिये विभाग के द्वारा एक हैण्ड बुक तैयार किया जायेगा जो विभाग की वैब साईट के साथ–साथ व्यापारियों के लिये भी उपलब्ध होगा।
- वाणिज्यिक कर विभाग में जो अधिकारी मामला बनायेगा उसके द्वारा उस मामले को सुनवाई नहीं की जायेगी। अन्य अधिकारी द्वारा संबंधित प्रकरण को निपटाया जायेगा।
- डिजीटल सिगनेचर से हो रही असुविधा को ध्यान में रखते हुए अब इसकी अनिवार्यता को समाप्त की गई है।
- जिन व्यापारियों द्वारा ई–रिटर्न फाईल की जायेगी तथा तिमाही कर निर्धारण की विकल्प दिया जायेगा उनको समय समाप्ति के दो माह के अन्दर 50 प्रतिशत रिफण्ड निश्चित रूप दिया जायेगा।

- अब वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा अपने स्तर पर रिफण्ड पर ब्याज भी देगा। इसके लिये वित्त विभाग से अनुमति आवश्यक नहीं होगी।
- सी–फार्म लेने की लिये डीलर को ऑफिस आने की आवश्यकता नहीं होगी। कम्प्यूटर माध्यम से आवेदन करने पर डाक के द्वारा फार्म पहुचा दिया जायेगा।
- अपील अधिकारी द्वारा एक माह में स्टे आवेदन को नहीं निपटाने पर स्थगन प्रभावी माना जायेगा।
- मार्च 31, 2010 तक समस्त लम्बित अपील को निस्तारित कर दिया जायेगा।
- डीलर द्वारा आवेदित व्यवसाय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अधिकृत उत्तर एक माह के अन्दर अनिवार्य रूप से दिया जायेगा।
- अनावश्यक वादकरण को कम करने के लिये विभाग द्वारा टैक्स बोर्ड के ऐसे निर्णय जिसमें विभाग अपील नहीं करता है उस प्रकार के समान प्रकरण में निर्णय को लागू कर दिया जायेगा।
- ऐसे व्यापारी जिनके अनेक स्थानों पर शाखाऐं है उनको रिटर्न की प्रति देना आवश्यक नहीं है।
- राज्य में सभी कर निर्धारण अधिकारी के स्तर पर कर सुविधा केन्द्र की स्थापना की जायेगी। इसमें टैक्स के संबंध में कम्प्यूटर आधारित अनेक सुविधाएं उपलब्ध होगी। इनके संचालन के लिये 531 कम्प्यूटर असिसंटेट की नई नियुक्ति होगी।
- वाणिज्यिक कर विभाग में 400 नये अधिकारी/कर्मचारी की नियुक्ति होगी। विभाग की सुदृढीकरण के लिये राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
- घोषणा पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि अब 31 मार्च, 2010 होगा।
- सभी प्रकार की इमारती पत्थर के कर दर 4 प्रतिशत की गई है।
- प्रदूषण निवारण संयत्र के लिये उपकरण एवं रसायन अब कर मुक्त है।
- सभी भ्रान्तियों को दूर की जाकर कशीदाकारी साड़ियों को कर मुक्त कर दिया गया है। सिल्क एवं आयातित साड़ी पूर्ववत कर योग्य रहेगा।
- डी–आयल राइस ब्रांन को कर मुक्त कर दिया गया है। यह पशु आहार के उत्पादन में काम आता है।

- न्यूज प्रिंट को कर मुक्त किया गया है।
- राज्य में जड़ी बूटी की खेती को प्रोत्साहन के लिये इन पर तथा सुखा आमला को कर मुक्त किया गया है।
- स्कूल के लेबोरेट्री का उपकरण पर कर दर 12.5 प्रतिशत से 4 प्रतिशत की गई है।
- इलैक्ट्रानिक बाट माप पर 12.5 प्रतिशत के स्थान पर अब 4 प्रतिशत कर लगेगा।
- पुरानी कारों की बिक्री पर 4 प्रतिशत के स्थान पर अब 1000 सी.सी. इंजिन तक 2000 रूपये एवं उससे अधिक पर 5000 रूपये लगेगा।
- पत्थर कटाई के काम में आने वाली डायंमड बिट पर 12.5 प्रतिशत के स्थान पर 4 प्रतिशत कर दर लगेगा।
- ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिये सभी पंजीकृत इकाईयों को, कुछ वस्तु छोड़कर कर से राहत दी गई है।
- राज्य में एक बड़ी राहत के तहत अब पंजीयन शुल्क 8 प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत होगा। महिलाओं के लिये यह दर 4 प्रतिशत होगी।
- जयपुर जिले का डीएलसी रेट में 25 प्रतिशत बढ़ोतरी की गई है। बाकी जिलों में जहां 2009 में डीएलसी रेट निर्धारित नही हुई है उनमें 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।
- आर्थिक रूप से कमजोर एवं निम्न आय वर्ग के लिये जमीन अथवा मकान का पंजीयन अब केवल 10 एवं 25 रूपये में होगा।
- राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये विमान के ईधंन पर 28 प्रतिशत कर दर को घटाकर 4 प्रतिशत की गई है।
- 3000 रूपये तक होटल कमरा पर लक्जरी टैक्स नही लिया जायेगा।
- वैट की साधारण दर 12.5 प्रतिशत को बढ़ाकर 14 प्रतिशत की गई है।
- तम्बाकू पर कर दर 12.5 प्रतिशत के स्थान पर 20 प्रतिशत होगा।
- पेट्रोलियम कम्पनियों को अब सरफेस रेन्ट देना होगा।
- विद्युत शुल्क पर 10 पैसा प्रति यूनिट जल संरक्षण सैस लगाया गया है। काश्तकार तथा घरेलू उपभोक्ता के लिये यह अधिभार लागू नही होगा।